भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1903

मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

खेती के लिए किसानों को सौर सिंचाई पंप स्थापित करने हेतु राजसहायता

1903 श्री सतनाम सिंह संधू:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मंत्रालय की सभी किसान-केंद्रित पहलों के अंतर्गत लाभार्थी किसानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत बारह वर्षों के दौरान मंत्रालय की सभी किसान-केंद्रित पहलों हेतु किए गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय सब्सिडी वाले सौर पंपों की स्थापना के लिए पीएम कुसुम योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह मांग संचालित योजना है तथा सौर पंपो की स्थापना के लिए 30% (अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र/द्वीपसमूहों के लिए 50%) केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत शामिल है, जो किसानों को उनके योगदान के लिए ब्याज में छूट प्राप्त करने और आसान वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

(ख) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम कुसुम सहित मंत्रालय की विभिन्न योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन सौर पंपों के माध्यम से 14.65 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

साथ ही, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) के माध्यम से कृषि फीडरों के सौरीकरण द्वारा 16.32 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) मंत्रालय ने ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग योजना (2010-2021) जैसी कृषि-केंद्रीत पहलें की हैं जिसके अंतर्गत 3.16 लाख सौर पंप स्थापित किए गए।

पीएम कुसुम योजना (वर्ष 2019 से आज तक) के अंतर्गत घटक ए के अंतर्गत विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, घटक बी के अंतर्गत 13.07 लाख सौर पंपों की स्थापना के लिए तथा घटक सी के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड पंपों और फीडर स्तरीय सौरीकरण के लिए 35.91 लाख पंपों हेतु राज्यों को 10,000 मेगावाट आवंटित किए गए हैं।
